IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, August 2026 Impact Factor: 8.2

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के अधिकार की भूमिका

जयती श्रीवास्तव[1] and डॉ. तेजपाल सिंह[2]
[1]शोधार्थी, समाज शास्त्र - विभाग
[2]सह – प्राध्यापक, समाज शास्त्र - विभाग
विक्रम विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.), भारत

सारांश: झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का जीवन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक वंचनाओं से प्रभावित होता है। गरीबी, अस्थिर पारिवारिक आय, असुरक्षित आवास, अभिभावकों की अशिक्षा, बाल श्रम, विद्यालय से दूरी, दस्तावेजों की कमी, सामाजिक भेदभाव तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ इन बच्चों के शैक्षिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान करके वंचित बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण आधारभूमि तैयार की। प्रस्तुत समीक्षा शोध-पत्र का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के अधिकार की भूमिका का विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द: झुग्गी-झोपड़ी के बच्चे, शिक्षा का अधिकार, सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, शैक्षिक समानता, बाल अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

I. प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना उसके मूल अधिकारों और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है। किंतु सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच अभी भी अनेक चुनौतियों से प्रभावित है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन बच्चों का जीवन प्रायः गरीबी, अस्थिर रोजगार, सीमित पारिवारिक संसाधनों, असुरक्षित आवास, स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक वंचना से जुड़ा होता है। ऐसी परिस्थितियाँ बच्चों के विद्यालयी जीवन और उनके समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसका उद्देश्य बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। शिक्षा का अधिकार केवल विद्यालय में नामांकन का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह ऐसे शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता पर बल देता है जिसमें बच्चे सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों वाले वातावरण में सीख सकें। इसलिए झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार का अध्ययन करते समय विद्यालय में प्रवेश के साथ-साथ उनकी उपस्थिति, निरंतरता, सीखने के परिणाम, सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, पोषण तथा भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

II. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति

झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति सामान्य विद्यालयी आबादी से अनेक स्तरों पर भिन्न हो सकती है। परिवारों की आर्थिक अस्थिरता के कारण बच्चों को घरेलू कार्य, छोटे-मोटे रोजगार या परिवार की आय में सहयोग करने के लिए विद्यालय से दूर रहना पड़ सकता है। कई परिवारों में माता-पिता का रोजगार अस्थायी होने के कारण बार-बार स्थान परिवर्तन होता है, जिससे बच्चों की शिक्षा निरंतर बाधित होती है। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों की सीमित शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण वे बच्चों की पढ़ाई में अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाते।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, August 2026 Impact Factor: 8.2

विद्यालय में प्रवेश के बाद भी भाषा, सीखने की पूर्व तैयारी, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता और सामाजिक वातावरण जैसी समस्याएँ बच्चों की शैक्षिक प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से बालिकाओं के सामने घरेलू जिम्मेदारियों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ी अतिरिक्त चुनौतियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों की शैक्षिक समस्या को केवल विद्यालय में प्रवेश की समस्या मानना उचित नहीं होगा। वास्तविक चुनौती शिक्षा तक पहुँच, शिक्षा में निरंतरता और शिक्षा की गुणवत्ता तीनों को एक साथ सुनिश्चित करने की है।

III. शिक्षा का अधिकार और वंचित बच्चों के लिए समान अवसर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस कानून ने 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित किया। झुग्गी-झोपड़ी जैसे सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए यह प्रावधान विशेष महत्व रखता है क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से बाहर होने की संभावना ऐसे बच्चों में अधिक हो सकती है। शिक्षा के अधिकार की मूल भावना यह है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति उसके शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को निर्धारित न करे। विद्यालय में प्रवेश, शुल्क से राहत और भेदभाव से सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में सहायता कर सकती हैं। इसके साथ ही, वंचित समूहों के बच्चों के लिए समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि उन्हें विद्यालय में केवल संख्या के रूप में शामिल न किया जाए, बल्कि उनके सीखने और विकास की वास्तविक आवश्यकताओं को समझा जाए। इस दृष्टि से शिक्षा का अधिकार सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है।

IV. सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका

सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बच्चे के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और रचनात्मक विकास को एक साथ बढ़ावा देना है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा इस व्यापक विकास की आधारशिला बन सकती है। विद्यालय बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणितीय कौशल सिखाने के साथ-साथ सहयोग, अनुशासन, समस्या-समाधान, संवाद, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का अवसर देता है। खेल, कला, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ बच्चों के रचनात्मक तथा भावनात्मक विकास में योगदान करती हैं। शिक्षक का सहयोग बच्चों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय बच्चों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा बच्चों को केवल रोजगार के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें सामाजिक जीवन में सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी तैयार करती है।

V. शिक्षा का अधिकार और सामाजिक समावेशन

झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के विकास में सामाजिक समावेशन का विशेष महत्व है। आर्थिक स्थिति, आवासीय क्षेत्र या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव उनके आत्मसम्मान और सीखने की प्रेरणा को कमजोर कर सकता है। समावेशी शिक्षा ऐसी परिस्थितियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ सीखने तथा सहयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इससे बच्चों में समानता, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो सकती है। शिक्षा का अधिकार इस प्रक्रिया को कानूनी और संस्थागत आधार प्रदान करता है। यदि विद्यालय बच्चों के साथ समान व्यवहार करता है और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को उनकी शैक्षिक क्षमता का मापदंड नहीं बनाता, तो शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बन सकती है। इस प्रकार शिक्षा झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को सामाजिक अलगाव से निकालकर व्यापक सामाजिक संरचना में सहभागी बनाने में सहायता कर सकती है।

VI. आर्थिक सशक्तीकरण और भविष्य के अवसर

शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के बीच गहरा संबंध है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों में ऐसी क्षमताएँ विकसित करती है जो भविष्य में रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसरों का आधार बन सकती हैं। झुग्गी-झोपड़ी के परिवारों में आर्थिक असुरक्षा के कारण बच्चों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, August 2026 Impact Factor: 8.2

के सामने कम उम्र में काम करने का दबाव हो सकता है। यदि बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, तो उनके लिए बाल श्रम से बाहर निकलने तथा आगे की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। शिक्षा के माध्यम से भाषा, गणित, डिजिटल साक्षरता, संचार और समस्या-समाधान जैसे कौशल विकसित किए जा सकते हैं। लंबे समय में ये कौशल बच्चों की रोजगार क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का अधिकार केवल वर्तमान शैक्षिक स्थिति में सुधार का साधन नहीं है, बल्कि गरीबी के पीढ़ीगत चक्र को कम करने की क्षमता रखने वाला सामाजिक हस्तक्षेप भी है।

VII. शिक्षा, स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास

झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रभाव स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास तक भी विस्तृत होता है। विद्यालय बच्चों को स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और व्यक्तिगत देखभाल से संबंधित व्यवहार सीखने का अवसर देता है। विद्यालय आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक हो सकते हैं। दूसरी ओर, गरीबी और असुरक्षित सामाजिक परिस्थितियाँ बच्चों में तनाव, असुरक्षा तथा आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में संवेदनशील शिक्षक, मित्रतापूर्ण विद्यालयी वातावरण और परामर्श सेवाएँ बच्चों के भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बच्चे को अपनी बात व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इसलिए शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को भी शैक्षिक गुणवत्ता का हिस्सा माना जाना चाहिए।

VIII. शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि शिक्षा के अधिकार ने महत्वपूर्ण कानूनी आधार उपलब्ध कराया है, फिर भी झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों तक इसके पूर्ण लाभ पहुँचाने में कई चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं। इनमें विद्यालय से दूरी, परिवार की आर्थिक स्थिति, अस्थायी निवास, बार-बार स्थानांतरण, दस्तावेजों से संबंधित समस्याएँ, बाल श्रम, अभिभावकों की जागरूकता की कमी, विद्यालयों में संसाधनों की कमी और शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात जैसी समस्याएँ शामिल हैं। केवल नामांकन बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते या विद्यालय छोड़ देते हैं तो शिक्षा के अधिकार का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसी प्रकार विद्यालय में उपस्थित बच्चों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अलगाव या भेदभाव का अनुभव होता है तो शिक्षा का समावेशी उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। अतः नीति और कानून के साथ प्रभावी स्थानीय स्तर की कार्यप्रणाली आवश्यक है।

IX. परिवार, समुदाय और विद्यालय की साझेदारी

झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए परिवार, विद्यालय, समुदाय और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक है। अभिभावकों को शिक्षा के महत्व, बच्चों की नियमित उपस्थिति और बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समितियाँ समुदाय को विद्यालयी गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम बन सकती हैं। समुदाय आधारित संगठन भी ऐसे बच्चों की पहचान, विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति और ड्रॉपआउट की रोकथाम में सहयोग कर सकते हैं।

शिक्षकों को बच्चों की सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए संवेदनशील और बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि परिवार आर्थिक संकट में है, तो केवल अभिभावकों को दोष देने के बजाय सामाजिक सुरक्षा और सहायता योजनाओं से उन्हें जोड़ना अधिक प्रभावी दृष्टिकोण होगा। इस प्रकार शिक्षा के अधिकार का वास्तविक प्रभाव बहु-हितधारक सहयोग पर निर्भर करता है।

X. निष्कर्ष

समीक्षित साहित्य और वैचारिक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यह बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में कार्य करता है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों के ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, रचनात्मकता और भविष्य के आर्थिक अवसरों में

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, August 2026 Impact Factor: 8.2

सुधार की संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं। फिर भी शिक्षा के अधिकार की सफलता केवल विद्यालय में नामांकन से निर्धारित नहीं की जा सकती।

वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब झुग्गी-झोपड़ी के बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, सुरक्षित और भेदभाव-मुक्त वातावरण में सीखें तथा अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। इसके लिए विद्यालयी संसाधनों में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य सहायता, परिवार की जागरूकता, बाल श्रम की रोकथाम, डिजिटल एवं सीखने की सुविधाओं का विस्तार और समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के अधिकार को केवल कानूनी प्रावधान के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, बाल संरक्षण और सर्वांगीण मानव विकास के व्यापक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

संदर्भ

1. चुघ, एस. (2014). झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा: हैदराबाद और लुधियाना के चुनिंदा परिवारों का विश्लेषण। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, 52(2), 31–52.
2. दत्ता, आर., डे, जे., और दत्ता, एस. (2022). शहरी झुग्गियों में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और वंचित बच्चे: संदर्भ और चिंताएँ। वॉयस ऑफ़ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स, 11(2), 23–35.
3. त्सुजिता, वाई. (2013). बच्चों को स्कूली शिक्षा तक पहुँचने से रोकने वाले कारक: दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों के परिवारों का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 33(4), 348–357.
4. श्रीवास्तव, पी., और नोरोन्हा, सी. (2016). मुफ़्त और बिना बाधा वाली पहुँच का भ्रम: भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम—निजी स्कूली शिक्षा की लागत और परिवारों के अनुभव। ऑक्सफ़र्ड रिव्यू ऑफ़ एजुकेशन, 42(5), 561–578.
5. खान, एफ. (2022). दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में मुस्लिम लड़कियों और शिक्षा की दृष्टि से वंचित अन्य समूहों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक। जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन, 48(1), 48–67.
6. सिंह, बी., और सिंह, जे. (2012). प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सीखने के परिणामों को प्रभावित करने वाले कारक। द प्राइमरी टीचर, 37(1–2), 48–76.
7. चुघ, एस. (2005). शहरी गरीबों के लिए स्कूली शिक्षा: झुग्गी-बस्ती के अध्ययन से मिली जानकारी। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 35(1), 1–18.
8. अनीस, एस. (2023). पटना, बिहार की झुग्गी-बस्तियों में बच्चों की शिक्षा की स्थिति। टुवर्ड्स एक्सीलेंस, 15(3), 1–10.